

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

सं० सं० : 01/भू0अ0नि0 (3) वि०सर्वे० कानूनगो (फर्जी अभिलेख)- 32/2021 .10.30 पटना, दिनांक : 06-05-2022

आदेश

निदेशालय ज्ञापांक- 10247 दिनांक 20.07.2020 द्वारा श्री मनीष कुमार, (Emp. ID- SKN00655), ज्ञापांक- 10257 दिनांक 20.07.2020 द्वारा श्री सुमित कुमार (Emp. ID- SKN00662) एवं ज्ञापांक- 10259 दिनांक 20.07.2020 द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार, (Emp. ID- SKN00653) विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल/किशनगंज एवं सीतामढ़ी को नियोजन के उपरांत इनके द्वारा समर्पित डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र की जांच/सत्यापन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक- 4161 दिनांक 12.11.2021 द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान को भेजे गए पत्र के आलोक में संबंधित परिषद् के सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) ने अपने पत्रांक-प्राशिप/पुष्टि/डिप्लोमा अनुभाग-5/2833 लखनऊ दिनांक 27.12.2021 द्वारा सत्यापन संबंधी सूचना दी गई है, जिसमें अंकित है कि "उक्त अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों की पुष्टि परिषद् के अभिलेखानुसार नहीं हुई है।" एतद् संबंधी सत्यापन सूचना प्राप्त होने के फलस्वरूप उक्त सभी संविदा कर्मियों से फर्जी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियोजन प्राप्त करने के विरुद्ध स्पष्टीकरण की मांग की गई।

उपरोक्त तथ्यों एवं पूछे गए स्पष्टीकरण में से श्री मनीष कुमार एवं श्री सुमित कुमार द्वारा अपने फर्जी प्रमाण-पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है तथा श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण में इनके द्वारा कोई ऐसा तथ्य नहीं दिया गया है, जो इनके प्रमाण-पत्र को वैध ठहराता हो। संबंधित संस्थान के सत्यापन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त सभी विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, संविदा के पद पर गलत/फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने में सफल हो गये हैं। अतः प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन तथा Term of Assignment के कंडिका-4 (vi) में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त सभी यथा- श्री मनीष कुमार, श्री सुमित कुमार एवं श्री सत्येन्द्र कुमार, संविदा कर्मियों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (3) वि०सर्वे० कानूनगो (फर्जी अभिलेख)- 32/2021 .10.30 पटना, दिनांक : 06-05-2022
प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल/किशनगंज एवं सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि :-

1. फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियोजित कर्मियों से अब तक की भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु कार्रवाई करें।
2. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियोजन प्राप्त करने एवं अन्य संगत आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करें।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (3) वि०सर्वे० कानूनगो (फर्जी अभिलेख)- 32/2021 .10.30 पटना, दिनांक : 06-05-2022
प्रतिलिपि : श्री मनीष कुमार, (Emp. ID- SKN00655), E-mail ID : sumitpish@gmail.com / श्री सुमित कुमार (Emp. ID- SKN00662), E-mail ID : job.dgs555@gmail.com एवं श्री सत्येन्द्र कुमार, (Emp. ID- SKN00653), E-mail ID : akashkr.gpl@gmail.com विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल/किशनगंज एवं सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण